निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 42 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियन्ता, रा.मा. खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून, (डोईवाला)** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अधिशासी अभियन्ता, रा.मा. खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून, (डोईवाला) के माह 08/2017 से 07/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री संजीव कुमार एवं श्री अक्षय कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों एवं श्री आलोक चौधरी, लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 14/08/2018 से 25/08/2018 तक श्री अनिल कुमार जैन, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री आर.एन. यादव एवं श्री राजेश डोभाल एवं श्री डी के मट्टू, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 12/08/2017 से 23/08/2017 तक श्री नीरज चुंगू वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 12/2015 से 07/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: .....

(II)(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
							स्थापना		गैर स्थापना	
							आधिक्य	बचत	आधिक्य	बचत
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय लाख	आवंटन	व्यय				
2017-18	-	-	458.28	458.28	495.66	495.66	0.001	-	-	-
2018-19(07/18) तक	-	-	442.31	189.01	320	156.88	On prograss	-	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष ` **	**प्राप्त ` **	**व्यय अधिक्य (+) ` **	**बचत (-) ` **
शून्य					

3. इकाई का बजट आवंटन ..... द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई B श्रेणी की है ।
4. विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव

प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष

मुख्य अभियंता

अधीक्षण अभियंता

5. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में .....कार्यालय को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियन्ता, रा.मा. खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून, (डोईवाला)** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2018 को विस्तृत जाँच हेतु चयनित किया गया।
6. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।
3. अधीक्षण अभियन्ता द्वारा विगत लेखा परीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक .....से ..... तक लेखा परीक्षा की गई ।
4. खण्ड के भंडार लेखों की अर्धवार्षिक लेखा बंदी तथा यंत्र संयंत्र लेखो की वार्षिक लेखा बंदी क्रमश: माह 03/2018 तथा 09/2017 तक की गई।
5. **फॉर्म-51**: माह 07/2018 तक कार्यालय महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उत्तराखंड को प्रेषित किया जा चुका है। जिसके प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत है

भाग प्रथम- रुपए 42466.00
भाग द्वितीय- रुपए 520039.00

6. खण्ड के उच्चन्तलेखो के अवशेष 07/2018 के अंत में

1.नकद परिशोधन- शून्य
2.सामग्री क्रय- शून्य
3.निक्षेप पंजिका- ₹ 171571105.00 /-
4.प्रकीर्ण अग्रिम- .....
5.भंडार- ` 266380.00 /-

भाग दो -'ब'

प्रस्तर-1- रु0 1.13 करोड़ रायल्टी के रूप में राजस्व की हानि

As per EPC agreement,

Clause 19.1.2 के अनुसार "The Contract Price includes all duties, taxes, royalty, and fees that may be levied in accordance with the laws and regulations in force as on the Base Date on the Contractor's equipment, Plant, Materials and supplies acquired for the purpose of this Agreement and on the services performed under this Agreement. Nothing in this Agreement shall relieve the Contractor from its responsibility to pay any tax including any tax that may be levied in India on profits made by it in respect of this Agreement."

Clause 19.1.3 "The Contract Price shall not be adjusted for any change in costs stated in Clause 19.1.2 above, except as stated in Clauses 19.10 and 19.17."

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-2 स. 842/VII-I/2016//24-ख/2007 दिनांक 19 मई 2016 की अधिसूचना के अनुसार उपखनिजों पर रायल्टी प्रतिस्थापित /संशोधित दरो से कटौती की जाएगी। उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 दिनांक 30 सितम्बर 2016 की अधिसूचना के अनुसार खनिजों के अभिवहन हेतु ई-रवन्ना पद्धति लागू किए जाने के संबंध में। उक्त के अनुसार राजस्व प्राप्ति के नियमित अनुश्रवण के उद्देश्य से शासन द्वारा खनन से उपखनिजों के राज्य क्षेत्रान्तर्गत अभिवहन हेतु e-form "MM-11" तथा अनुज्ञप्ति धारी भंडारण / क्रेशर / स्क्रीनिंग प्लांट स्थल से खनिजों के विधिपूर्ण परिवहन/ अभिवहन हेतुe-form "J" का निर्धारण किया गया है।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खंड, लोक निर्माण विभाग, डोईवाला, देहारादून के अभिलेखों की लेखापरीक्षा की नमूना जांच मे पाया गया कि Construction of 4-Lane ROB in Km 165 (Mohkampur) on NH-72 (New No. 07) in Dehradun in the State of Uttarakhand In EPC Mode हेतु दिनांक 27 March 2015 को रु0 8173.355 लाख की तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी।

उक्तकार्य हेतु M/S RamKumar Contractor, 636/8, Model Town, Jind, Haryana के साथ लागत रु0 43,00,00,000.00 का अनुबंध संख्या 02/CE NH&B/2016 दिनांक 19.07.2016

गठित किया गया उक्तानुसार कार्य प्रारभ्भ की तिथि 24.08.2016 एवं कार्य पूर्ण होने की तिथि 23.08.2018 थी। उक्त कार्य के सापेक्ष IXth/R Bill तक रु0 39,63,50,836.00 के भुगतान के बाद भी आतिथि तक अपूर्ण है।

उक्त कार्य के सापेक्ष 9 बिलों द्वारा किये गए भुगतान में से किसी भी बिल में रायल्टी की कटौती नहीं की गयी हैदिनांक 15-11-2016 से 29 जून 2018 के दौरान कार्य मे प्रयुक्त उपखनिजों की मात्रा का विवरण निम्नानुसार है

दिनांक / क्र. सं.	10 MM (In Qntl)	20 MM (In Qntl)	40MM (In Qntl)	53 MM (In Qntl)	CORSAND (In MT)	RBM (in MT)	Dust (In Qntl)
15-11-16 To 31.7.17	24720.40	51795.62	1363	-	35258.68	23699.60	691
1 to 274	14355.97	24409.74	930.60	147.10	27674.31	741.95	164522.67
275 to 565	10456.80	17098.80	-	118.50	13157.35	5355.60	130.70
566 to 863	10818.98	13862.92	3391.50	-	22093.70	-	765.90
Total	60352.15	107167.08	5685.10	265.60	98184.04	29797.15	166110.27

इस प्रकार कार्य में प्रयुक्त उपखनिजों की कुल मात्रा 16,19,392.10Qntl [60352.15+107167.08+5685.10+265.60+166110.27=3,39,580.20 +12,79,811.90(98184.04+29797.15=1,27,981.19X 10)] है जिस पर कुल देय रायल्टी रु0 1,13,35,744.70 (16,19,392.10X रु0 7.00 प्रति कुंटल) है।

विभागीय उत्तर में बताया गया की R.O.B में प्रयुक्त उपखनिज से संबन्धित इनवाईस ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराई गई है।

विभाग के उत्तर से स्पष्ट है कि विभाग द्वारा उक्त रायल्टी नहीं काटी गयी है जबकि नियमानुसार ठेकेदारद्वारा प्रस्तुत ई-प्रपत्र "जे" के सापेक्ष रॉयल्टी का नियमितीकरण स्वीकार किया जाएगा जबकि इस प्रकरण में ठेकेदार द्वारा ई-प्रपत्र "जे" के स्थान पर अन्य प्रपत्र इनवाईस प्रस्तुत किया गया है अतः उपरोक्त नियमों के अंतर्गत खंड द्वारा ठेकेदार से भुगतान के बिलों से रॉयल्टी काटी जानी थी जोकि नहीं काटी गई है।

इस प्रकार रु0 1.13 करोड़ रायल्टी के रूप में राजस्व की हानि का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु संज्ञान में लाया जाता है।

' भाग – 2 ब ''

<u>प्रस्तरः–2</u> उच्चाधिकारियों के आदेशों के बावजूद एवं ` 1.58 करोड़ की स्वीकृति केबावजूद भी सरकारी लैब से Quality Control Test न कराया जाना।

राष्ट्रीय राजमार्ग खण्डों के अधीन निर्माणाधीन कार्यों की गुणवत्ता परीक्षण हेतु **Morth** एवं राज्य सरकार के सहयोग से गुणवत्ता परीक्षण हेतु एक सरकारी लैब कुँआवाला, देहरादून में स्थापित की गई थी। अधीक्षण अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, दसवाँ वृत्त, देहरादून द्वारा आदेश दिये गये थे कि प्रत्येक कार्य के समस्त परीक्षण **Quality Control Lab** कुँआवाला, देहरादून (सरकारी लैब) से आवश्य कराया जाय। निर्माण कार्य के दौरान **(Test)** सभी परीक्षण सरकारी लैब से ही करवाये जाय।

अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड डोईवाला, देहरादून के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि केन्द्र सरकार **(Morth)** सहायतित खण्ड के अधीन चल रहे, विभिन्न निर्माण कार्यों के लिये खण्ड द्वारा **Quality Control Tests** हेतु आगणन में ` 1.58 करोड का प्रावधान कर स्वीकृत करवाया गया था, लेकिन इस धनराशि में से **Quality Control Tests** पर कोई व्यय नहीं किया गया था, जबकि प्रशनगत निर्माण कार्य या तो पूर्ण हो चुके थे या पूर्ण होने वाले थे।

आगे जाँच में यह भी पाया गया कि, खण्ड द्वारा कार्यों के जो भी **Quality Control Test** करवाये गये थे, वे उक्त सरकारी लैब से न करवा कर, किसी अन्य प्राईवेट लैब से करवाये जा रहे थे, जो उच्चाधिकारियों के उक्त निर्देशों की अवहेलना तो थी ही साथ ही खण्ड द्वारा जो भी **Quality Control Tests** करवाये गये थे उनके सापेक्ष भुगतान ठेकेदार से करवाया गया था, और **Quality Control Test** हेतु स्वीकृत धनराशि ज्यों कि त्यों अवशेष थी।

प्रकरण इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा उत्तर में बताया गया कि, **NABL** प्रमाणित संस्था से करवाये गये है, भविष्य में सरकारी लैब से **Test** करवाये जायेगें।

उत्तर मान्य नहीं है क्योकि खण्ड द्वारा **Quality Control Test** के लिये भारत सरकार से ` 1.58 करोड स्वीकृत करवा रखे है जो तक अव्ययित पडे है एवं खण्ड द्वारा उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना कर प्राईवेट लैब से परीक्षण कराये जा रहे थे।

प्रकरण संज्ञान लाया जाता है।

''<u>भाग दो -**ब**</u>

<u>प्रस्तर</u>:–3 खंड की उदाशीनता के कारण कार्य पर रु.2809.56 लाख व्यय उपरांत भी कार्य की धीमी प्रगति एवं ठेकेदार से रायल्टी की कटौती न किया जाना।

वित्तीय नियम यह प्रावधानित करते है कि सक्षम अधिकारी द्वारा भूमि सम्यक रूप से हस्तान्तरित किए बिना कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिए तथा MORTH द्वारा दिनांक: 31 मार्च 2015 को प्रेषित पत्र के बिन्दु संख्या: 2.10 के अनुसार " State PWD should complete the Shifting of Utilities before award of the work"।

MORTH के Clause 19.1.2 के अनुसार "The Contract Price includes all duties, taxes, **royalty**, and fees that may be levied in accordance with the laws and regulations in force as on the Base Date on the Contractor's equipment, Plant, Materials and supplies acquired for the purpose of this Agreement and on the services performed under this Agreement. Nothing in this Agreement shall relieve the Contractor from its responsibility to pay any tax including any tax that may be levied in India on profits made by it in respect of this Agreement."

Clause 19.1.3 "The Contract Price shall not be adjusted for any change in costs stated in Clause 19.1.2 above, except as stated in Clauses 19.10 and 19.17."

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-2 स. 842/VII-I/2016//24-ख/2007 दिनांक 19 मई 2016 की अधिसूचना के अनुसार उपखनिजों पर रायल्टी प्रतिस्थापित /संशोधित दरो से कटौती की जाएगी ।

राजमार्ग सं0–72 के किमी0 161 अजबपुर में चार लेन आर०ओ०बी० की स्वीकृति सड़क परिवहन एव ंराजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक एन0एच0 12014/Uttarakhand(1)/2015-16/003-S&R (B) (Job no. 072-Uttarakhand(I)/2014-15/003-S & R B) दिनांक 31.03.2015 द्वारा रु० 6949.52 लाख की प्राप्त हुई थी। जिसके अनुपालन कार्य के निष्पादन हेतु M/s Brahmputra Infrastructure Ltd. के साथ मुख्य अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सेतु (गढ़वाल क्षेत्र) द्वारा अनुबन्ध संख्या 05CENH-2016 दिनांक 22.10.2016 को लागत रू 498000000.00 का गठित किया। अनुबन्ध के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 30.12.2016 व समाप्ति की तिथि 29/06/2018 (18 माह) थी।

अधिशासी अभियन्ता,राष्ट्रीय राजमार्ग खंड, लो. नि. वि., डोईवाला के अभिलेखो के अनुसार कार्य निष्पादन मे आतिथि (अगस्त 2018) तक कुल 56.41 प्रतिशत की प्रगति थी ठेकेदार को सप्तम चल देयक से `2809.56 लाख का भुगतान 16 जुलाई 2018तक खण्ड द्वारा किया गया

था |MORTH के निर्देशानुसार राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य कराये जाने से पूर्व सभी items की Shifting कराई जानी थी परंतु विभाग द्वारा बिना shifting के ही अनुबंध गठित कर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया।जिसके कारण कार्य लेखापरीक्षा तिथि तक भी पूर्ण नही किया जा सका था।

अनुबन्ध के अनुसार अब तक (प्रथम 8 माह मे 20%,12 माह मे 50%, 18 माह मे 70% व 24 माह मे 100%) मे 100% धनराशि का कार्य पूर्ण किया जाना था परन्तु 26 माह से अधिक का समय होने के पश्चात भी अभी तक केवल 56.04% कार्य ही किया गया था। ठेकेदार को 7 चल देयक से `2809.56 लाख का भुगतान किया गया है, जिसमे किसी भी बिल से रॉयल्टी की कटौती नही की गयी न ही रॉयल्टी का विवरण बिल के साथ संलग्न किया जा रहा था।उक्त कार्य हेतु कार्य प्रारम्भ से पूर्व भूमि के अधिग्रहण हेतु आवश्यक कार्यवाही नही की की गयी तथा भूमि का निराकरन के बिना ही दिनांक 22.10.2016 को अनुबंध गठित कर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया। जो कि वित्तीय नियमो के विपरीत है। उक्त कार्य हेतु अतिथि तक भूमिकारो को भूमि प्रतिकर भी आवंटित नही किया था। जिसके कारण भविष्य मे भूमिकारो द्वारा सर्किल रेट बढ़ने के कारण अधिक मुआवजे की मांग की जा सकती है तथा कार्य की विभाग द्वारा वित्तीय नियमो के अनुसार M.B नही कराई जा रही थी।

उपरोक्त प्रकरणों को सम्प्रेक्षा में उठाये जाने पर खण्ड द्वारा उक्त के सम्बन्ध मे अवगत करवाया कि कार्य प्रारम्भ हेतु अधिकांश ROW उपलब्ध था तथा ठेकेदार को समय वृद्धि दी दे दी गयी है। भूमि अधिग्रहण हेतु पत्रावली सत्यापित कर धनराशि MORTH से प्राप्त कर ली गयी है। रायल्टी की कौटौती न किए जाने के संबंध मे खंड मे कोई आदेश प्राप्त नही है रायल्टी स्टेटमेंट अथाटी इंजीनियर से प्राप्त कर सत्यापित करा दिया जाएगा।

खंड का उत्तर मान्य नही है क्योकि खंड द्वारा बिना भूमि अधिग्रहण एवं utilities shifting के ही अनुबंध गठित कर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया,जिसके कारण RoW प्राप्त न होने के कारण ठेकेदार को समय वृद्धि दी गयी तथा खण्ड द्वारा RoW शीघ्र प्राप्त करने हेतु न ही कोई ठोस कदम उठाया गया। रायल्टी के सम्बंध मे भी खण्ड द्वारा किसी भी देयक से कटौती सम्बन्धी जांच की गयी न ही देयक से रायल्टी की कटौती न किए जाने एवं रायल्टी स्टेटमेंट

प्रेषित न किए जाने के सम्बंध मे आथाटी इंजिनयर से कोई पत्राचार किया गया। न ही खण्ड द्वारा उक्त कार्य से संबन्धित भूमिकारो को दिये जाने वाले प्रतिकर के सम्बंध मे उनके सहमति पत्र लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गये। अंतिम तिथि के बाद भी कार्य अपूर्ण तथा अतिथि तक केवल 56.04 कार्य ही किया गया था। इसके बावजूद ठेकेदार से कार्य को समयान्तर्गत सम्पादित न किए जाने हेतु खण्ड द्वारा कोई भी पत्राचार नही किया गया, न ही उस पर कोई पेनल्टी लगाई गयी। उक्त भूमि का अधिग्रहण अभी भी खण्ड द्वारा नही किया जा सका था। जो खण्ड की उदासिनता को दर्शाता है।

अत: प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तरः1- डिपाजिट मद में ` 17.15 करोड़ की धनराशि का अनिस्तारित/असमायोजित पड़े रहना।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वी० डोईवाला, देहारादून के निक्षेप से संबन्धित अभिलेखों के अवलोकन में पाया गया कि कार्यालय में विभिन्न वर्षों से डिपाजिट शीर्षक में ` **171575136.00** की धनराशि अवरूद्र/असमायोजित पड़ी हुई थी। जिसमें भाग-II में अधिनास्थों की जमानत धनराशि ` **3000**, भाग-III में रोड कटिंग, मुआवजा एवं निक्षेप कार्यो से संबन्धित ` **171530736.00 की धनराशि असमायोजित पड़ी थी**, जिसमे से Road cutting charge recv. from Jal Sansthan (NH-72) रु.(-) 26348909.00 एवं Improvement of Service road baliwala & ballupur flyover पर रू0 (-) **34402424.00** की ऋणात्मक धनराशि का समायोजन मार्च 2018 से भी पूर्व से नही किया गया था। इसके अतरिक्त भाग-V में GST की कटोती से संबन्धित असमायोजित धनराशि ` **41400** भी सम्मिलित है।

इस संबंध में इंगित किये जाने पर खण्ड ने उत्तर दिया कि भाग -II की धनराशि तत्कालीन कैशयर द्वारा जमा की गयी थी, जिनका स्थानातरण हो गया है। उक्त धनराशी उनको रिफ़ंड कर दी जाएगी। भाग -III मे अंकित धनराशि के समायोजन का समायोजन कर लिया जाएगा एवं भाग -V में प्राप्त धनराशि के समायोजन की कार्यवाही की जायेगी।

खण्ड का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि भाग-III में कुल असमायोजित धनराशि रु॰ **171530736.00** मे से Road cutting charge recv. from Jal Sansthan (NH-

72) रु.(-) 26348909.00 एवं Improvement of Service road baliwala & ballupur flyover पर रू0 (-) **34402424.00** की ऋणात्मक धनराशि मार्च 2018 से भी पूर्व से असमायोजित पड़ी थी, जिसके समायोजन हेतु खण्ड द्वारा लेखापरीक्षा तिथि तक कोई भी कार्यवाही नही की गयी। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड बडकोट एवं रुड़की से प्राप्त मुआवजे की धनराशि भी कई वर्षो से असमायोजित पड़ी है। भाग-V में भी GST की कटोती से संबन्धित रु 41400 की धनराशि भी कई माह से असमायोजित पड़ी हुई थी, जो राजस्व मे जमा नही की गयी थी।

अतः विभाग/खण्ड को उक्त राशियों के निराकरण की कार्यवाही करनी चाहिए थी तथा, GST से संबन्धित धनराशि को Revenue में जमा किया जाना चाहिए था।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	स्टैन
2017-18	0	1,2,3,4	1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
			इकाई ने अपने उत्तर में बतलाया कि विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों में अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या उच्चाधिकारियों को संस्तुत कराकर महालेखाकर कार्यालय	

			देहरादून को प्रेषित कर दी जायेगी।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

- शून्य -

<u>भाग-V</u>

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियन्ता, रा.मा. खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून, (डोईवाला)** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए:

2. **सतत् अनियमितताएः** शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	**नाम**	**पदनाम**
1	ई॰ महिपाल सिंह रावत	अधिशासी अभियंता।
2	ई॰ ओ॰ पी॰ सिंह	अधिशासी अभियंता।

4.विगत सम्प्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खंडीय लेखाधिकारी खंड से संबंध रहे।

.....

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियन्ता, रा.मा. खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून, (डोईवाला)** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक खण्ड-II